राज्य बजट 2013–14

राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 44 | अप्रैल - जून 2013 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

राज्य बजट 2013–14 : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

राज्य सरकार ने अभी 06 मार्च 2013 को वित्तीय वर्ष 2013–14 का राज्य बजट प्रस्तुत किया जिसमें सरकार ने इस बार कुल 94872 करोड रू. खर्च किये जाने का अनुमान किया है। राज्य में इस सरकार का यह अंतिम वित्तीय बजट है जिस पर आगामी राज्य चुनाव का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस लेख में हमने सरकार के राज्य बजट 2013–14 का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

सरकार की राजस्व आय में 8737 करोड़ रु. वृद्धि के मायने : बजट 2013–14 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार को 77220.60 करोड़ रु. राजस्व आय होने का अनुमान लगाया गया है जो कि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 12.76 प्रतिशत अधिक है। इस आधार पर आगामी वित्त वर्ष में सरकार को 1025.86 करोड़ रु. का राजस्व आधिक्य होने का अनुमान है। सरकार को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व आय में करीब 70.5 प्रतिशत (54414 करोड़ रु.) हिस्सा करों से प्राप्त होगा जिसमें भी सर्वाधिक हिस्सा (एक तिहाई से भी ज्यादा) बिक्री कर (वैट) से आयेगा। इस आधार पर अगर पैट्रोल, डीजल से प्राप्त वैट (बिक्री कर) पर कुछ रियायत दी जाती तो राज्य की जनता को पैट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से कुछ हद तक राहत प्रदान की जा सकती थी। जबकि इस रियायत से राज्य सरकार की वित्तीय सेहत पर कुछ ज्यादा विशेष असर भी नहीं होता।

पूंजीगत व्यय में कटौती से राज्य में स्थाई संपत्तियों के निर्माण में होगी कमी : राज्य बजट 2013–14 के आंकड़ों के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु करीब 94872 करोड़ रु. खर्च किए जाना अनुमानित किया गया है जो कि इससे पिछले वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 9.7 प्रतिशत अधिक है। गौरतलब है कि कुल व्यय में करीब 80 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय के रुप में होता है जिसमें मुख्य रुप से वेतन, प्रबंधन, प्रशासनिक कार्यों के अलावा ब्याज पर किया गया खर्चा शामिल होता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए राजस्व व्यय हेतु करीब 76195 करोड़ रु. अनुमानित किए गये हैं जो कि 2012–13 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 12.53 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा करीब 18677 करोड़ रु. पूंजीगत व्यय हेतु रखे गये हैं जो कि पिछले वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 124 करोड़ रु. कम है। ध्यातव्य है कि राज्य में स्थाई संपत्तियों के निर्माण पर किया गया खर्च एवं बकाया कर्ज के लिए चुकाया गया मूलधन पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। एक तरफ सरकार घोषणाओं के दौरान हजारों की संख्या में विद्यालय, चिकित्सालय, नये भवन बनवाने के अलावा नये मशीन, संयत्र, उपकरण आदि लगवाने की बात कर रही है वहीं पूंजीगत व्यय में करोड़ों रुपयों की कटौती से इन योजनाओं के क्रियान्वयन में संदेह प्रतीत होता है।

राज्य पर बकाया कुल देनदारियों में करीब 12887 करोड़ रु. की बढ़ोतरी : जैसा कि प्रतिवर्ष चर्चा का विषय रहता है कि राज्य की बकाया देनदारियों में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है। राज्य बजट के आंकड़ों के आधार पर राज्य पर बकाया कुल कर्ज का बोझ आगामी वर्ष में भी बढ़ने के आसार हैं। इन आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2013–14 के अंत में राज्य पर बकाया कुल देनदारियां 1,28,779 करोड़ रु. होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों (1,15,892 करोड़ रु.) की तुलना में 12,887 करोड़ रु. (करीब 11 प्रतिशत वृद्धि) ज्यादा है। अगर वर्ष 2013–14 हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों (गारंटी) की राशि 68872 करोड़ रु. को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो राज्य पर बकाया कुल देनदारियां 1,98,951 करोड़ रु. हो जाती है।

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति हेतु राज्य के हिस्से में कटौती : एक तरफ जहां राज्य सरकार राज्य में शिक्षा, खेलकूद एवं संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दे रही है वहीं दूसरी तरफ इस मद पर केन्द्र द्वारा प्रवर्तित की जा रही योजनाओं के संचालन हेतु 2013–14 के बजट अनुमानों के अनुसार पूंजीगत व्यय में राज्य ने अपने हिस्से से 25.23 करोड़ की राशि की कटौती की है जो कि पिछले वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 39 प्रतिशत कम है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के अंर्तगत स्थाई संपत्तियों के निर्माण में राज्य द्वारा दिए जाने वाले अंशदान में से राज्य ने अपना हिस्सा कम कर दिया है जो कि गैर संगत है।

श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण हेतु बजट में 32 करोड़ रु. की कमी : राज्य सरकार जहां एक तरफ आम आदमी के सर्वांगीण विकास की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ समाज के एक प्रमुख वर्ग श्रमिक समुदाय हेतु बजट में कटौती की जा रही है। वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य में श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण हेतु करीब 351 करोड़ रु. रखे गये हैं जबकि 2013–14 के बजट अनुमानों के अनुसार यह राशि कम करके 319 करोड़ रु. कर दी गई है। इसका तात्पर्य है कि राज्य में श्रमिकों हेतु संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर किए जाने वाले व्यय में कमी की जाएगी जो या तो लाभान्वितों की संख्या को प्रभावित करेगी या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में विपरीत असरकारी होगी।

अन्य प्रमुख विभागों हेतु बजट आवंटन का मूल्यांकन : राज्य बजट 2013–14 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु करीब 3756 करोड़ रु. अनुमानित किये गये हैं जो कि 2012–13 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 6.61 प्रतिशत अधिक है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ मदों में कमी की गई है जैसे प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत हेतु राजस्व व्यय 785 करोड़ रु. से (2012–13 संशोधित अनुमान) घटाकर करीब 708 करोड़ रु. कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु पूंजीगत व्यय को 108 करोड़ रु. से कम करके करीब 46 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके अलावा पोषण जैसे महत्त्वपूर्ण मद हेतु पूंजीगत व्यय 2012–13 के संशोधित अनुमानों 29.47 करोड़ रु. की तुलना में 18 हजार रु. कर दिया गया है जो कि राज्य में बच्चों के पोषण की जरुरत की तुलना में बहुत कम राशि है।

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप हेतु 2013–14 में करीब 4034 करोड़ रु. अनुमानित किया गया है जो कि 2012–13 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 7 प्रतिशत अधिक है। इसके अंतर्गत फसल कृषि

शेष पृष्ठ 2 पर

राज्य बजट 2013–14

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु कानून बनाने की घोषणा

राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्य बजट पेश किया गया। इस बजट में दलित एवं आदिवासी समुदायों के सशक्तीकरण की दिशा में एक अति महत्त्वपूर्ण घोषणा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम बनाने की की गयी है। आशा है कि सरकार अपने बचे हुये कार्यकाल में यह वादा पूरा करेगी।

राज्य बजट 2013–14 में की गई कुछ अन्य प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं।

प्रदेश में नई योजनाएं –

- अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं हेतु 'स्कुटी योजना' प्रारंभ की जाएगी।
- जोधपुर में 'रुफ टावर पॉवर जनरेशन स्कीम' प्रारम्भ की जाएगी।
- राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रेल 2013 से लागू की जाएगी।
- राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जायेगा।

योजनागत लाभों में वृद्धि –

- राज्य सरकार अपने खर्च पर महानरेगा योजना में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवायेगी।
- पालनहार योजना के अंर्तगत सहायता राशि 675 रु. से बढ़ाकर 1000 रु. की गई है।
- राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 14000 आवासों का निर्माण करवाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना में औषधियों की संख्या 87 से बढ़ाकर 110 की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण तथा शहरी रोजगार योजना में 3 लाख युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना में आठवीं कक्षा में विद्यालय में दूसरे से ग्यारहवें स्थान पर रहने वाले बालक–बालिकाओं को टेबलेट–पीसी दिये जायेंगे।

महिलाओं एवं बच्चों के लिये घोषणाएं –

- राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु टोल फ्री महिला सुरक्षा हैल्पलाईन स्थापित की जाएगी।
- शुभ लक्ष्मी योजना में बच्ची के जन्म पर 1000 रु., 1 वर्ष पर 1000 रु. एवं 5 वर्ष पर 2000 रु. दिये जायेंगे।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को 2–2 जोड़ी यूनिफार्म का वितरण किया जाएगा।
- राज्य में प्रथक बाल निदेशालय की स्थापना की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधा के वादे –

- बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं समकक्ष सभी महिलाओं को 2 साड़ी एवं पुरुषों को 1 कंबल दिया जाएगा।
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन हेतु 25 वर्ष या अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त की गई है।
- बीपीएल परिवारों को 10 रुपये प्रतिकिलो की दर से चीनी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रतिकिलो की दर से गेंहू तथा एपीएल परिवारों को 5 रुपये प्रतिकिलो की दर से आटा उपलब्ध कराया जाएगा।
- आगामी वर्ष 600 अनुसूचित जाति, 400 अनुसूचित जनजाति एवं 150 अल्पसंख्यक बाहुल्य गांवों को शामिल करते हुये कुल 3 हजार गांवों व ढाणियों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जाएगी।
- प्रदेश में 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।

प्रदेश में नये संस्थान तथा निगम –

- राजस्थान वेटनरी सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी।
- राजस्थान में सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर में एग्री मार्केट इंटेलीजेंस एण्ड़ बिजनेस प्रोमोशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- सभी संभागीय मुख्यालयों पर हैंडलूम एवं खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी।

शिक्षा के लिये नए प्रयास –

- बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय तथा कोटा, जोबनेर (जयपुर) एवं जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में 1000 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।
- 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

करों में रियायत के वादे

- हैण्डीक्राफ्ट के विनिर्माण हेतु खरीदे जाने वाले कच्चे माल पर कर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है।
- सस्ती दरों पर आवास निर्माण के लिये स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की गई है।
- तम्बाकू एवं पान मसाला की कर दरों को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया है।

कुछ अलग हट कर घोषणाएं

- सामान्य जाति के युवक–युवती द्वारा अनुसूचित जाति में विवाह करने पर 5 लाख रु. दिये जायेंगे।
- बीपीएल परिवारों एवं ढाणियों में निवास करने वाले परिवारों को 2–2 सीएफएल निःशुल्क दी जाएंगी।
- सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जाएगी।
- अल्पसंख्यक विकास कोष का गठन किया जाएगा जिसका प्रारंभिक अंशदान 200 करोड़ रु. होगा।

उपरोक्त बजट घोषणाओं से स्पष्ट है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार द्वारा बजट में कई लोक लुभावने वादे तथा घोषणाएं की गई हैं। अब सरकार पर सबसे बडी जिम्मेदारी इन वादों को अपने 7 माह के सीमित कार्यकाल में पूरा करने की है।

बजट 2013–14 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1974–79 में जनजाति उपयोजना एवं 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना की (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गो के विकास हेतु व्यय करना चाहिये।

चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.16 एवं 12.56 प्रतिशत है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात आवंटित करना चाहिये। लेकिन उपयोजनाओं के लागू होने के 30 वर्षों से अधिक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है।

केन्द्र बजट में उपयोजनाएं

28 फरवरी, 2013 को केन्द्र सरकार ने देश का बजट पेश किया जिसमें भी दोनो उपयोजनाओं को कुल आवंटन मानदंड से काफी कम है। वर्ष 2013–14 के बजट में अनुसूचित जनजाति उपयोजना को कुल केन्द्रीय आयोजना का 4.43 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उपयोजना कुल केन्द्रीय बजट का 7.48 प्रतिशत आवंटित किया गया है, जो क्रमशः 8 प्रतिशत तथा 16 प्रतिशत होना चाहिये।

राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में वर्ष 2013–14 हेतु प्रस्तावित बजट पेश किया है। जिसमें जनजाति जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 2700 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट का करीब 8.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत सभी विभागों में कुल करीब 3000 करोड़ रु. आवंटित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट के 9.8 प्रतिशत के करीब है। हालांकि विगत 2–3 वर्षों में दोनों उपयोजनाओं के तहत आवंटन बढा है लेकिन फिर भी यह मानदंड से बहुत कम है।

दोनों उपयोजनाओं हेतु गत वर्षों के आवंटन को निम्न तालिकाओं में दर्शाया गया है।

जनजाति उपयोजना बजट :

जनजाति उपयोजना बजट की स्थिति

(राशि करोड़ में)

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	जनजाति उपयोजना बजट	बजट राशि, जो आवंटित होनी चाहिये (राज्य आयोजना का 12.56 प्रतिशत)	बजट राशि से वंचित
2007–08 वास्तविक	10987.37	423.76 (3.86)	1380.01	956.25
2008–09 वास्तविक	12190.10	384.54 (3.15)	1531.08	1146.54
2009–10 वास्तविक	12568.73	367.30 (2.92)	1578.63	1211.33
2010–11 वास्तविक	14172.46	729.10 (5.14)	1780.06	1050.96
2011–12 संशोधित	22796.13	1631.68 (7.16)	2863.19	1231.5
2011–12 वास्तविक	20569.50	1312.34 (6.38)	2583.52	1271.19
2012–13 प्रस्तावित	23828.49	1955.87 (8.21)	2992.86	1036.99
2012–13 संशोधित	29580.64	2112.00 (7.14)	3715.33	1603.64
2013–14 प्रस्तावित	31516.27	2770.39 (8.8)	3958.44	1188.06

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक जनजाति उपयोजना हेतु राज्य आयोजना बजट की करीब 3.5 से 5 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही थी, जिसे वर्ष 2011–12 के संशोधित बजट में बढाकर 7.16 प्रतिशत किया गया लेकिन वास्तवित व्यय मात्र 6.38 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार 2012–13 के प्रस्तावित बजट में इस उपयोजना का आवंटन कुछ और बढाकर 8.21 प्रतिशत किया गया लेकिन संशोधित बजट में इसे कम करके 7.14 प्रतिशत कर दिया है। अभी हाल ही के प्रस्तावित बजट में इसे और बढाकर करीब 8.8 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः राज्य में गत दो–तीन वर्षों से जनजाति उपयोजना का आवंटन बढ रहा है। लेकिन यह अभी भी नियमानुसार 12.56 प्रतिशत से काफी कम है एवं इसी कारण राज्य के आदिवासी करोड़ों रु. की विकास योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

यदि विभागवार बजट देखते हैं इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में सामाजिक सेवाओं के कई महत्त्वपूर्ण विभागों ने मानदंड से बहुत कम आवंटन किया है। जैसे सामान्य शिक्षा में 5.46 प्रतिशत, तकनीकि शिक्षा में 7.9 प्रतिशत, कला एवं संस्कृति में 3.9 प्रतिशत, परिवार कल्याण में 0.6 प्रतिशत, पोषण में 5.53 प्रतिशत तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में 0.8 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के ग्राम्य तथा लघु उद्योग में 5.48 प्रतिशत एवं अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों में 1.75 प्रतिशत, उद्योग में 5.29 प्रतिशत एवं मध्यम सिंचाई में 5.1 प्रतिशत राशि इस उपयोजना हेतु आवंटित की गई है। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम, पेट्रोलियम आदि सेवाओं में एक भी रुपया नहीं रखा है। इस तरह मात्र 14 विभागों ने ही 12 प्रतिशत से अधिक राशि आवंटित की है। जबकि तकरीबन 32 विभागों ने 12 प्रतिशत से कम राशि आवंटित की है, जिसमें भी 6 विभागों ने 0 से 5 प्रतिशत के बीच राशि आवंटित की है। अतः अधिकांश विभाग ऐसे हैं, जो मानदंड से बहुत ही कम आवंटन कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना बजट :

अनुसूचित जाति उपयोजना बजट की स्थिति

(राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	बजट राशि, जो आवंटित होनी चाहिये (राज्य अयोजना का 17.16 प्रतिशत)	बजट राशि से वंचित
2007–08 वास्तविक	10987 .37	253 .38 (2.31)	1885 .43	1632 .05
2008–09 वास्तविक	12190 .10	381 .80 (3.13)	2091 .82	1710 .02
2009–10 वास्तविक	12568 .73	342 .19 (2.72)	2156 .79	1814 .60
2010–11 वास्तविक	14172 .46	655 .27 (4.58)	2431 .99	1776 .71
2011–12 संशोधित	22796 .13	1786 .50 (7.84)	3911 .82	2125 .31
2011–12 वास्तविक	20569 .5	1568 .95 (7.63)	3529 .73	1960 .77
2012–13 प्रस्तावित	23828 .49	2284 .13 (9.59)	4088 .97	1804 .83
2012–13 संशोधित	29580 .6	2398 .21 (8.11)	5076 .04	2677 .83
2013–14 प्रस्तावित	31516 .3	3091 .27 (9.8)	5408 .19	2316 .92

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु राज्य आयोजना बजट की करीब 2.3 से 4.5 प्रतिशत तक राशि व्यय की गई थी। वर्ष–2011–12 के संशोधित बजट में यह राशि बढकर 7.8 प्रतिशत हो गयी लेकिन वास्तविक व्यय 7. 6 प्रतिशत ही रहा। इसी प्रकार 2012–13 के प्रस्तावित बजट में यह और बढकर करीब 9.5 प्रतिशत की गई थी जबकि संशोधित बजट में यह कम होकर 8.1 प्रतिशत रह गयी है। अभी हाल ही के प्रस्तावित बजट में इस उपयोजना का आवंटन और बढाकर करीब 9.8 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः राज्य में विगत 2–3 वर्षों से अनुसूचित जाति उपयोजना का अनुपात बढ रहा है। लेकिन यह आवंटन अभी भी 17 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है।

यदि विभागवार बजट का देखते हैं तो बहुत से विभागों ने अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु मानदंड से बहुत ही कम आवंटन किया है। सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से महत्त्पपूर्ण सेवाओं जैसे– शिक्षा में 3.9 में प्रतिशत, कला एवं संस्कृति में 2.03 प्रतिशत, परिवार कल्याण में 7.5 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में 0.9 प्रतिशत तथा शहरी विकास में 5 प्रतिशत राशि इस उपयोजना हेतु आवंटित की गई है।इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं जैसे– उर्जा में 10 प्रतिशत, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में 9.7 प्रतिशत, फसल एवं कृषि कर्म में करीब 17 प्रतिशत, सहकारिता में 14.6 प्रतिशत, अलौह एवं धातु कर्म में 5.4 एवं अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों में 2.3 प्रतिशत, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं में 1.5 प्रतिशत राशि इस उपयोजना हेतु आवंटित की गई है। लेकिन रोजगार एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे–ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम, पेट्रोलियम तथा आदि ने इस उपयोजना हेतु एक भी रुपया आवंटित नहीं किया है। इस प्रकार मात्र 8 विभागों ने ही 17 प्रतिशत या इससे अधिक राशि आवंटित की है। जबकि तकरीबन 35 विभागों ने मानदंड अर्थात् 17 प्रतिशत से कम राशि आवंटित की है, जिसमें करीब 13 विभागों ने 5 प्रतिशत या इससे कम आवंटन किया है।

इसके अलावा सामान्य सेवाओं के बहुत से विभागों–न्याय प्रशासन, भूराजस्व, पुलिस एवं जेल आदि ने भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं हेतु लघु शीर्ष 789 एवं 796 के तहत बजट आवंटित किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सामान्य सेवाओं के ये विभाग इस आवंटित राशि को दोनो वर्गों को सीधे लाभांवित करने वाली योजनाओं के माध्यम कैसे व्यय करेंगे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य में दोनो उपयोजनाओं हेतु आवंटन बढ रहा है लेकिन अभी भी मानदंड से बहुत पिछे है। अतः राज्य में दोनों उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु सरकार को इस संबंध में राज्य, जिला एवं इससे निचले स्तरों पर निगरानी की मजबूत व्यवस्था करनी चाहिये। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु एक अधिनियम बनाना चाहिये। हालांकि सरकार ने हाल ही प्रस्तावित बजट में उपयोजना के संबंध में कानून बनाने की घोषणा की है। अतः आशा है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं हेतु अधिनियम बनायेगी।

शेष पृष्ठ 1 का शेष

राज्य बजट 2013–14 : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

कर्म हेतु राजस्व व्यय में करीब 1632 करोड़ रु. अनुमानित किए गये हैं जो कि 2012–13 के संशोधित अनुमानों की तुलना में करीब 5 प्रतिशत कम हैं। इसी प्रकार सहकारिता हेतु राजस्व व्यय में 357 करोड़ रु. अनुमानित किए गये हैं जो कि गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से करीब 57 करोड़ रु. कम हैं। जबकि इसके लिए पूंजीगत व्यय भी 45 करोड़ रु. से कम करके करीब 30 करोड़ रु. कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाएं जमीनी हकीकत से अभी बहुत परे हैं। इन्हे उचित रुप से सीमित समय अवधि में क्रियान्वित कर पाना राज्य सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वैसे भी अगर राज्य सरकार की पिछली आय एवं व्यय की प्रवृत्ति को देखा जाए तो इस बजट में अभी और भी अधिक गुंजाईश थी। जिस प्रकार पिछले 3–4 वर्षों से राज्य सरकार के राजस्व खाते के साथ साथ कुल खाते में भी आधिक्य (सरप्लस) होता चला आ रहा है इसके अनुसार राज्य सरकार जनता के प्रति थोड़ी और अधिक उदारता दिखा सकती थी लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। इस बजट में राज्य सरकार कुछ अतिरिक्त घोषणाएं जैसे पेट्रोल–डीजल के वैट में कमी, राज्य के पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, विधवा–वृद्ध एवं विकलांगों के लिए पेशन में वृद्धि, बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह दिए जा रहे राशन की मात्रा में वृद्धि आदि कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

सारणी : पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य बजट के आंकड़ें

(राशि करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13RE	2013-14 BE
राज्य की आय					
केन्द्रीय करों में हिस्से से प्राप्त राशि	9258.18	12855.65	14977.11	17102.85	20360.91
स्वयं राज्य के करों से प्राप्त राशि	16414.22	20758.10	25376.98	30205.65	34053.12
राजस्व के रुप में प्राप्त अन्य राशि	9712.61	12314.44	16656.66	21175.36	22806.57
कुल राजस्व प्राप्तियां (कर + अन्य)	**35385.01**	**45928.19**	**57010.76**	**68483.86**	**77220.60**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण, अल्प बचत आदि से)	13158.39	8322.09	8423.10	18255.38	17987.87
राज्य की कुल प्राप्तियां (राजस्व + पूंजीगत)	**48543.40**	**54250.28**	**65433.87**	**86739.24**	**95208.48**
राज्य का व्यय					
गैर आयोजना व्यय	36181.09	39530.86	44802.59	56932.16	63055.69
आयोजना व्यय	10732.10	12059.05	18312.48	26540.94	28244.62
केन्द्र प्रवर्तित आयोजना व्यय	1836.63	2113.40	2257.02	3039.70	3271.65
कुल व्यय	**48749.82**	**53703.32**	**65372.08**	**86512.80**	**94871.95**
राज्य द्वारा लिया गया शुद्व उधार एवं ब्याज अदायगी					
लिया गया शुद्व उधार	10092.37	4673.02	3687.65	11429.45	13356.38
चुकाया गया ब्याज	6769.13	7369.00	7891.82	8495.01	9241.12
राज्य के घाटे					
राजस्व घाटा	**-4747.18**	**1054.84**	**3357.45**	**771.97**	**1025.86**
बजटीय घाटा	**-206.42**	**546.96**	**61.79**	**226.44**	**336.52**
राजकोषीय घाटा	**-10298.79**	**-4126.06**	**-3625.86**	**-11203.01**	**-13019.86**
प्राथमिक घाटा	**-3529.66**	**3242.94**	**4265.96**	**-2708.00**	**-3778.74**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

नोट : घाटे के अंर्तगत ऋणात्मक राशि से अभिप्राय घाटा एवं धनात्मक राशि से अभिप्राय आधिक्य से है।

भारत एवं राजस्थान में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति

सन 2000 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से एक वैश्विक एजेंड़े पर हस्ताक्षर किए गये, जिसका प्रमुख उद्देश्य कुछ ऐसे परिणाम निर्धारक सूचक एवं समयबद्ध लक्ष्यों को तय करना था जिससे मनुष्य को अत्यंत गरीबी की स्थिति से बाहर निकाला जा सके और विभिन्न प्रकार के मानव अभावों को समाप्त किया जा सके। इस घोषणापत्र को परस्पर 8 विकासात्मक लक्ष्यों में बदल दिया गया जिसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के नाम से जाना जाता है। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आपसी सहमति से एक प्रारूप भी तैयार किया गया है। इस प्रारूप को बनाते समय आठ सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को 18 उपलक्ष्यों में बाटा गया। सहस्राब्दी घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत भी इन आठ वैश्विक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अग्रसर है। भारत के संदर्भ में 18 में से 12 लक्ष्य ही प्रासंगिक हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस ढांचे में इन 18 लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए 53 सांख्यकीय सूचक निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 53 सूचकों में से 35 सूचकों को भारतीय संदर्भ के 12 लक्ष्यों की प्रगति को मापने हेतु अपनाया है।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की भारत एवं राजस्थान में स्थिति

1. अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन

I. **1990 से 2015 के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लागों के अनुपात को आधा करना**

इस लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2015 तक भारत को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत को 18.6 प्रतिशत करना है। भारत की सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एम डी जी) की रिपोर्ट 2011 के अनुसार, 1994–95 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का आंकडा 45 प्रतिशत था जो 2009–10 में घटकर 29.8 प्रतिशत तक रहा। राजस्थान की एम डी जी रिपोर्ट 2011 के अनुसार, राज्य में 1990 में 39 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे और 2009–10 में यह आंकड़ा घटकर 24.8 प्रतिशत रहा।

II. **1990 से 2015 बीच भुखमरी से ग्रस्त लोगों के प्रतिशत को आधा करना**

भुखमरी से ग्रस्त लोगों के अनुपात का अनुमान न्यूनतम से भी कम उर्जा आहार की खपत करने वाली जनसंख्या के अनुपात से लगाया जाता है। भारत में 2100 कैलोरी (शहरी) एवं 2400 कैलोरी (ग्रामीण) से नीचे उर्जा आहार की खपत करने वाली जनसंख्या का अनुपात 1987–88 में 64 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2004–05 में बढ़कर 76 प्रतिशत तक रहा।

राजस्थान की आधे से ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रति दिन औसत 2100 कैलौरी ग्रहण करती है जो कि आवश्यक औसत 2400 कैलौरी से कम है। गरीब जनसंख्या तो प्रतिदिन केवल औसत 1800 कैलौरी ही ग्रहण कर पाती है।

बच्चों में कुपोषण खाद्य असुरक्षा को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। भारत में 3 वर्ष की आयु से नीचे के कम वजन के बच्चों के अनुपात में बहुत कम अन्तर पाया गया है। वर्ष 1998–99 से 2005–06 तक यह 43 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत ही हुआ है। पिछले कई वर्षों से बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण से संबंधित कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए हैं। परन्तु सुक्ष्म स्तर के अध्ययनों से यह पता चलता है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों में प्रत्येक गरीब परिवार के 2 में से 1 बच्चा कम वजन से प्रभावित है और 3 साल से कम आयु के 5 में से 2 बच्चे गंभीर या कम गंभीर रूप से कम वजन का शिकार हैं।

2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति

III. **2015 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति ।**

भारत सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2002 तक भारत में प्राथमिक शिक्षा पर शुद्ध नांमकन 83 प्रतिशत से बढकर 2010 में 98 प्रतिशत हुआ तथा राजस्थान में शुद्ध नामांकन दर 2010 में 90 प्रतिशत रही।

भारत की मानव विकास रिर्पोट 2011 के अनुसार, भारत की कुल साक्षरता दर (2001) 64.8 प्रतिशत से बढ़कर (2011) 74 प्रतिशत हुई है। राज्य की साक्षरता दर पिछले 2 दशकों में दुगनी हुई है जो कि वर्ष 1981 में 37 प्रतिशत से बढकर 2011 में 81 प्रतिशत रही परन्तु राज्य में बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या काफी है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर 2009–10 में 10.5 प्रतिशत थी जो कि 2011–12 में 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है।

3. लिंग आधारित समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त करना।

IV. **प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में 2005 तक और शिक्षा के सभी स्तरों में 2015 तक लैंगिक समानता लाना।**

शिक्षा के स्तर पर लैंगिक समानता में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति ओर भी चिन्ताजनक है। वर्ष 2007–08 तक भारत की 43 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं अनपढ़ थीं जो कि एम डी जी के तीसरे लक्ष्य को प्रभावित करता है। जिसके अनुसार भारत को 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना था जिसे भारत पूरा नहीं कर पाया है। वर्ष 2015 तक भारत को लैंगिक समानता को पूरी तरह हांसिल करना है और महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने हैं।

राजस्थान में भी लैंगिक आधार पर साक्षरता दर में असमानता है। राज्य में वर्ष 2011 में 53 प्रतिशत महिला साक्षरता एवं देश में 65 प्रतिशत महिला साक्षरता दर्ज की गई है। राज्य में बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की गिनती भी बहुत अधिक है, इनमें अधिकतर लड़कियां शामिल हैं।

4. शिशु मृत्यु दर को कम करना।

V. **1990 से 2015 के बीच पॉच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दो तिहाई तक कम करना ।**

इस लक्ष्य के लिये भारत को 2015 तक शिशु मृत्यु दर प्रति (1000 जीवित बच्चों पर) 42 करनी है। एस.आर.एस के आकडों के अनुसार, 5 साल से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर वर्ष 1990 में 125 से घटकर 2009 में 64 हुई है। राजस्थान में यह दर वर्ष 2009 में 74 रही।

भारत में शिशु मृत्यु दर (जन्म के 28 दिन के अन्दर मृत्यु) 2010 में 31 दर्ज की गई जबकि वर्ष 2000 में यह 68 थी। राजस्थान में भी 2010 में शिशु मृत्यु दर 31 दर्ज की गई। वर्ष 1990 से 2000 तक इसमें केवल 5 अंकों का ही अन्तर आ सका है। एन एफ एच एस 2005–06 के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर अधिक पाई गई है। 5 वर्ष से कम आयु के 80 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु एक वर्ष पूरा करने से पहले हो जाती है। नवजात शिशु मृत्यु दर 2002 में 48 प्रतिशत से 2010 में 40 प्रतिशत तक पहुंच सकी है।

शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पूर्ण टीकाकरण महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण टीकाकरण में 1992–93 में 42.2 प्रतिशत से 2010–11 में 72.4 प्रतिशत की वृद्वि देखने में आई है। राजस्थान में 2010–11 तक पूर्ण टीकाकरण का आंकडा 70.8 प्रतिशत रहा है। (Annual Health Survey 2010-11)

5. मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार

VI. **1990 से 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर को तीन चौथाई तक कम करना ।**

इस लक्ष्य के अनुसार 2015 तक भारत की मातृत्व मृत्यु दर (प्रत्येक एक लाख जन्म ले रहे बच्चों पर) 109 होनी चाहिए जो 1991 में 437 थी। भारत में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास काफी धीमीगति से चल रहे हैं। एस आर एस सर्वे के अनुसार 1998 में मातृत्व मृत्यु दर 398 थी जो कि वर्ष 2009 में 212 दर्ज की गई। भारत में पिछले दस वर्षो में मातृत्व मृत्यु दर में 35 प्रतिशत की कमी आई है।

राजस्थान में संस्थागत प्रसव में 2010–11 में 70.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके कारण मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। 2004–05 से प्रतिवर्ष इसमें 23 अंकों की कमी आ रही है। 2004–05 में राज्य की मातृत्व मृत्यु दर 388 थी और 2008–09 में 318 दर्ज की गई। परन्तु अभी भी लगभग 30 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रसव घरों में ही होता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों में घर पर होने वाले प्रसव की गिनती अधिक है।

सुरक्षित मातृत्व मुख्य रुप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा प्रसव पर काफी हद तक निर्भर करता है । भारत में संस्तागत प्रसव की गति बहुत धीमी है जिसका आंकड़ा वर्ष 1992–93 में 26 प्रतिशत से 2007–08 में 47 प्रतिशत का रहा। इसी समय में प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा प्रसव 33 प्रतिशत से 53 प्रतिशत हुआ है।

6. एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटना

VII. **2015 तक एच आई वी के प्रसार को रोकना ।**

भारत में एच आई वी के मामलों में कमी आई है और लोगों में जागरूकता का स्तर भी बढ़ा है। भारत में गर्भवती महिलाओं (15–24 वर्ष) में एच आई वी/एड्स का प्रसार अन्य विकासशील देशों की तुलना में सबसे कम है । 2002 में यह दर 0.74 प्रतिशत थी और 2007 में घटकर 0.49 प्रतिशत हो गई। युवाओं में इसके प्रसार की दर 2002 में 0.45 से घटकर 2009 में 0.31 प्रतिशत हुई है। कुल एच आई वी/एड्स ग्रस्त परिवारों की संख्या 2002 में 0.97 लाख थी जो 2007 में घटकर 0.95 लाख हुई।

राजस्थान में भी एच आई वी/एड्स के प्रसार में कमी आई है। महिला/पुरूष में एच आई वी का प्रसार 2004 में 1.08 प्रतिशत से घटकर 2009 में 0.97 प्रतिशत हुआ है। जहां तक जागरूकता का प्रश्न है राज्य में 2001 में 20 प्रतिशत एवं 2006 में 27.9 प्रतिशत लोगों को एच आई वी के प्रसार के बारे में सही जानकारी थी।

VIII. **2015 तक मलेरिया एवं अन्य संकामक रोगो की घटनाओं को रोकना ।**

भारत में मलेरिया एवं मलेरिया से मृत्यु के मामलों में भी कमी आई है और इसके प्रति लोगों में जागरूकता का स्तर भी बढ़ा है। वर्ष 1995 में देश में 2.93 लाख मलेरिया के मामले सामने आए जबकि कि 2010 में 0.6 लाख मामले दर्ज किए गए।

वर्ष 2009 में विश्व में टी. बी. के कुल 9.2 लाख मामले सामने आए, जिनमें से 2 लाख मामले भारत में ही सामने आए हैं। भारत में सभी प्रकार के टी. बी. रोगीयों में 1990 में 338 रोगी प्रति लाख पर तथा 2010 में 256 रोगी प्रति लाख पर सामने आए । देश में प्रति लाख पर टी. बी. से मृत्यु दर 1990 में 42 से घटकर 2010 में 26 दर्ज की गई है। (WHO Global Report 2010)

7. पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना।

IX. **देश की नीतियों/कार्यकमों में सतत विकास के सिद्धांतो को एकीकृत करना एवं पर्यावरणीय संसाधनों को बचाना ।**

वर्ष 2001 में भारत के धरातल का कुल 23.38 प्रतिशत वन भाग था जो कि वर्ष 2007 के अनुमान में 21.02 प्रतिशत तक रहा। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए 19 प्रतिशत वन क्षेत्र को आरक्षित एवं सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में कोई वृद्धि नही हुई है। वहीं राजस्थान में 2007 तक कुल भूमि का 9.54 प्रतिशत वन क्षेत्र था, जबकि 2001 में 9.49 प्रतिशत वन क्षेत्र आंका गया।

X. **2015 तक शुद्ध जल स्त्रोतों एवं प्रमुख स्वच्छता (शौचालय) सुविधाओं से वचिंत लोगों के अनुपात को आधा करना ।**

इसी लक्ष्य में लोगों के लिये शुद्ध पीने का पानी एवं भौतिक स्वच्छता सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी शामिल है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में परिवारों की शुद्ध जल स्त्रोतों से जुड़ाव की दर, परिसर क्षेत्र में 30.0 प्रतिशत, परिसर के नजदीक 44.3 प्रतिशत एवं दूर दराज में 17.6 प्रतिशत थी तथा जनगणना 2011 में यह दर परिसर क्षेत्र में 46.6 प्रतिशत, परिसर के नजदीक 35.8 प्रतिशत एवं दूर दराज में 16.7 प्रतिशत रही। राजस्थान में 2001 में परिवारों की शुद्ध जल स्त्रोत से जुड़ाव की दर परिसर क्षेत्र में 32.9 प्रतिशत, परिसर के नजदीक 44.3 प्रतिशत एवं दूर दराज में 23.8 प्रतिशत थी जबकि 2011 में यह दर परिसर क्षेत्र में 35.0 प्रतिशत, परिसर के नजदीक 29.0 प्रतिशत एवं दूर दराज में 25.9 प्रतिशत रही।

जहां तक स्वच्छता सुविधाओं में सुधार की स्थिति है एन एफ एच एस–3 के अनुसार भारत में वर्ष 2005–06 में 40.6 प्रतिशत परिवारों के लिये शौचालय की व्यवस्था थी। वर्ष 2011 के अनुसार देश में 46.9 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की व्यवस्था दर्ज की गई। राज्य में 2011 तक केवल 35 प्रतिशत परिवारों में ही शौचालय की व्यवस्था थी जबकि वर्ष 2005–06 में यह दर 30.8 प्रतिशत रही।

XI. **2020 तक 100 लाख झुग्गियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना ।**

एन एस एस रिपोर्ट के अनुसार 1993 में भारत में 56 हजार झुग्गिया थीं और 2009 में 49 हजार दर्ज की गई। इस प्रकार वर्ष 1993 से 2009 तक 13 प्रतिशत झुग्गियों में कमी आई है। परन्तु 1991 में 46.26 लाख जनसंख्या झुग्गियों में रहती थी, जिनकी तादाद वर्ष 2001 तक 61.82 लाख हो गई।

8. विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना।

XII. **निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करके नई तकनीक मुख्यतः सूचना एवं संचार का लाभ उपलब्ध करवाना ।**

इसी लक्ष्य से जुड़ा सूचक नई तकनीक के साथ जुड़ाव मुख्यतः सुचना एवं संचार का प्रसार एवं लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने से संबंधित है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट–2010 के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व (टेलीफोन का विस्तार) 1991 में 0.67 प्रतिशत से 2009 में बढकर 36.98 प्रतिशत हुआ है जबकि शहरी क्षेत्रों में कुल टेली घनत्व 100 प्रतिशत तक हो चुका है । व्यक्तिगत कम्प्यूटर के इस्तेमाल में भी 2001 से 2009 में वृद्धि हुई है जिसका आंकडा 2001 में 5.4 लाख से बढ़कर 2009 में 13.54 लाख तक हुआ है। इंटरनेट ग्राहकों की गिनती भी बढ़ी है। राजस्थान की प्रति 100 जनसंख्या दर पर टेली–घनत्व 2004 में 1.32 प्रतिशत था जो 2010 में बढकर 57.97 प्रतिशत हुआ है।

निष्कर्षतः भारत एवं राजस्थान में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतू अभी भी कडे प्रयास करने की आवश्यकता है। चरम गरीबी, बच्चों में कुपोषण की स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। भारत एवं राजस्थान की साक्षरता दर में भले ही वृद्धि आई है परन्तु बच्चों द्वारा बीच में स्कूल छोडने की समस्या अभी भी बनी हुई है, जिससे सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में कठिनाई आ रही है। शिक्षा में लैगिंक समानता लाने के लिये भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगो की पहुंच बढ़ाने की जरूरत है । अतः सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वन को अधिक प्रभावी बनाने एवं निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।

राज्य बजट : पंचायतों को कर राजस्व का एक चौथाई आवंटन

राजस्थान सरकार ने अभी 06 मार्च 2013 को आगामी वित्तीय वर्ष 2013–14 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। जिसमें सरकार ने इस वर्ष कुल 94871.95 करोड़ रू. की राशि खर्च करने का अनुमान किया है। राज्य बजट से इस वर्ष में स्थानीय निकायों के लिए कुल 17787.35 करोड़ रू. की राशि आवंटित होनी प्रस्तावित है, जिसमें पंचायतों एवं शहरी निकायों के लिये क्रमशः 15289.65 करोड़ रू. तथा 2497.70 करोड़ रू. की राशि व्यय हेतु दी जानी है।

वर्तमान वर्ष 2013–14 में राज्य बजट से पंचायती राज संस्थाओं को जो बजट राशि आवंटित की जा रही है। उसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा बजट पुस्तिका आय व्यय अनुमान – खण्ड 4 ब के माध्यम से दी गई है जिसमें जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत तथा विशिष्ट मद में देय राशि की जिलेवार सूचना उपलब्ध करवाई गई है। राज्य बजट से पंचायतों को पिछले 3 वर्षों में आवंटित राशि को निम्न सारणी से समझा जा सकता है।

राज्य बजट से पंचायतों को कुल आवंटन

राशि करोड़ में

क्र सं	वर्ष	राज्य का कुल बजट	पंचायतों को राशि	प्रतिशत
1	2011 -12 AE	65372.08	11614.95	17.77 %
2	2012 -13 RE	86512.80	13209.01	15.27 %
3	2013 -14 BE	94871.95	15289.65	16.12 %

स्रोत –बजट पुस्तकों के आधार पर

सारणी से स्पष्ट है कि पंचायतों को राज्य बजट से पिछले तीन वर्षों में 15 से 18 प्रतिशत तक राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2011–12 में पंचायतों को राज्य बजट से कुल 17.77 प्रतिशत लगभग 11614.95 करोड़ रू. की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2012–13 में पंचायतों को राज्य बजट से कुल 15.27 प्रतिशत लगभग 13209.01 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया। वर्तमान वर्ष 2013–14 में पंचायतों को राज्य बजट से कुल 16.12 प्रतिशत लगभग 15289.65 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। पंचायतों को आवंटित इस राशि में जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम पंचायत को आवंटित बजट राशि के साथ तीनों स्तरों की पंचायतों को विशिष्ट मद में देय राशि भी सम्मिलित है।

निम्न विवरण में राज्य सरकार की वर्तमान वर्ष एवं पिछले वर्षों में राजस्व आय, कर राजस्व से आय एवं राज्य की स्वयं के करों से आय का पंचायतों के आवंटन से तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया है जिसके आधार पर पता लगता है कि राज्य की आय का कितना प्रतिशत राशि आवंटन पंचायतों को किया गया है।

राजस्व आय एवं पंचायतों को आवंटन की तुलनात्मक स्थिति

	कुल राजस्व आय से पंचायत आवंटन का %	कुल कर राजस्व से पंचायत आवंटन का %	राज्य के स्वयं करों से पंचायत आवंटन का %
2010-11 AE	8.48 %	11.59 %	18.77 %
2011-12 AE	20.37 %	28.78 %	45.77 %
2012-13 RE	19.29 %	27.92 %	43.73 %
2013-14 BE	19.80 %	28.10 %	44.90 %

स्रोत –बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के कुल राजस्व आय की तुलना में पंचायतों को राशि आवंटन लगातार बढते क्रम में हुआ है। वर्ष 2010–11 में पंचायतों को कुल राजस्व आय का 8.48 प्रतिशत राशि आवंटन किया गया। लेकिन वर्ष 2012 से 2014 तक मतलब पिछले तीन वर्षो में कुल राजस्व आय का 19 से 20 प्रतिशत तक पंचायतों को राशि आवंटन किया गया।

राज्य के कुल कर राजस्व आय की तुलना में पंचायतों को पिछले 4 वर्षों में नितन्तर बढते क्रम में राशि आवंटन हुआ है। वर्ष 2010–11 में पंचायतों को कर राजस्व आय में से 11.59 प्रतिशत तथा 2013–14 में कुल कर राजस्व आय का 28.10 प्रतिशत पंचायतों को राशि आवंटन किया गया है। देखा जाये तो पिछले 3 वर्षों में पंचायतों को आवंटित राशि में एकाएक दोगुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है इन 3 वर्षों में पंचायतों को 27 से 28 प्रतिशत तक राशि आवंटन हुआ है।

राज्य की स्वयं के करों से आय में से पंचायतों को राशि आवंटन की तुलना करने पर पता लगता है कि वर्ष 2010–11 में पंचायतों को राज्य के स्वयं के करों से आय में से 18.77 प्रतिशत तथा वर्ष 2013–14 में 44.90 प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया। लेकिन पिछले 3 वर्षों में पंचायतों को आवंटन के प्रतिशत में दो से ढाई गुना तक की वृद्धि हुई है।

उपरोक्त सभी मदों से पंचायतों के आवंटन की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010–11 के बाद पंचायतों के आवंटन के प्रतिशत में एकाएक दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। जिसका एक कारण वर्ष 2011–12 से ग्राम पंचायतों को देय राशि की सूचना का पंचायतों को आवंटित कुल राशि की सूचना में सम्मिलित किया जाना तथा दूसरा वर्ष 2011–12 से पंचायतों के बजट में पूर्ण हस्तांतरित 5 विषयों की बजट राशि का शामिल किया जाना हो सकता है।

जैसे कि पूर्व में चर्चा की गयी है कि वर्तमान वर्ष में पंचायतों के लिये कुल 15289.65 करोड़ रू. की राशि राज्य बजट से जारी की गई। निम्न विवरण से जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत एवं विशिष्ट मद में आवंटित राशि को अलग अलग समझा जा सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि वितरण

राशि करोड में

क.सं.	पंचायती राज संस्थाऐं	आयोजना भिन्न मद	आयोजना मद	केन्द्र प्रवर्तित राशि	पं. रा. का कुल बजट	प्रतिशत
1	जिला परिषद	1026.20	1558.13	86.85	**2671.19**	**17.47 %**
2	ब्लॉक पंचायत	7097.95	376.16	697.01	**8171.12**	**53.44 %**
3	ग्राम पंचायत	872.78	1511.20	598.75	**2982.72**	**19.51 %**
4	विशिष्ट मद	0.00	1450.30	14.32	**1464.62**	**9.58 %**
	योग	**8996.93**	**4895.79**	**1396.94**	**15289.65**	**100 %**

स्रोत –बजट पुस्तकों के आधार पर

राज्य बजट 2013–14 से पंचायतों के लिये कुल 16.12 प्रतिशत लगभग 15289.65 करोड रूपये की राशि व्यय हेतू प्रस्तावित है। इस कुल पंचायत बजट में से 17.47 प्रतिशत, लगभग 2671.19 करोड रू. जिला परिषदों को व्यय हेतू दिये गये हैं जिसमें 1026.20 करोड रू. आयोजना भिन्न मद में, 1558.13 करोड रू. आयोजना मद में एवं 86.85 करोड रूपये केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कियान्वयन के लिये स्वीकृत किये गये हैं। ब्लॉक पंचायतों को कुल पंचायत बजट में से सर्वाधिक 53.44 प्रतिशत लगभग 8171.12 करोड रू. व्यय हेतु दिये जाने हैं। जिसमें 7097.95 करोड रू. आयोजना भिन्न मद में, 376.16 करोड रू. आयोजना मद में तथा 697.01 करोड रू. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन हेतु दिये जाने हैं। ग्राम पंचायतों को वर्तमान वर्ष में कुल बजट राशि का 19.51 प्रतिशत, लगभग 2982.72 करोड रू. दिये जाने हैं जिसमें आयोजना भिन्न मद के अंर्तगत 872.78 करोड रू., आयोजना मद के अंर्तगत 1511.20 करोड रू. तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये 598.75 करोड रू. की राशि व्यय हेतू प्रस्तावित है। विशिष्ट मद के अंतर्गत तीनों स्तरों की पंचायतों को कुल पंचायत बजट का 9.58 प्रतिशत लगभग 1464.62 करोड रू. दिये जाने हैं जिसमें आयोजना भिन्न मद के अंतर्गत कोई राशि नहीं दी गई है। आयोजना मद में 1450.30 करोड रू. एवं केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के लिए 14.32 करोड रू. की राशि व्यय हेतू स्वीकृत की गई है।

राज्य बजट 2013–14 में पंचायतों की स्थिति

राशि करोड़ में

क्र.सं.	बजट मद	राज्य बजट	पंचायतों को देय	प्रतिशत
1	आयोजना भिन्न	63055.69	8996.93	**14.27 %**
2	आयोजना मद	28244.62	4895.79	**17.33 %**
3	केन्द्र प्रायो. योजना	3271.65	1396.94	**42.70 %**
4	राज्य का कुल व्यय	94871.95	15289.65	**16.12 %**

स्रोत –बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से राज्य बजट में पंचायतों की स्थिति को समझा जा सकता हैं। वर्ष 2013–14 में कुल राज्य बजट से पंचायतों को 16.12 प्रतिशत लगभग 15289.65 करोड़ रू. व्यय हेतु प्रस्तावित किए गये। इस वर्ष राज्य के कुल गैर आयोजना बजट में से पंचायतों को 14.27 प्रतिशत लगभग 8996.93 करोड रू. आयोजना भिन्न मद में, राज्य के कुल आयोजना बजट में से 17.33 प्रतिशत लगभग 4895.79 करोड रू. आयोजना मद में व्यय हेतु स्वीकृत किये गये हैं। राज्य के कुल केन्द्र प्रायोजित योजना बजट में से पंचायतों को 42.70 प्रतिशत लगभग 1396.94 करोड़ रू. व्यय हेतु जारी किये गये हैं। इस तरह पंचायतों को राज्य बजट से सर्वाधिक 8996.93 करोड. रू. की राशि गैर आयोजना मद में जारी की गई है लेकिन यदि राज्य बजट से पंचायतों को आवंटित राशि के प्रतिशत को देखा जाये तो सर्वाधिक 42.70 प्रतिशत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को राशि आवंटन करने तथा उसकी जानकारी देने के लिए कुछ मुख्य, उपमुख्य तथा लघु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। जिनके अंतर्गत पंचायतों को बजट राशि आवंटित की जाती है। बार्क पिछले 3 वर्षों से पंचायतों को आवंटित राशि का मुख्य एवं लघु शीर्षवार विवरण तैयार करता रहा है। जिसके अध्ययन से जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत तथा ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि को मुख्य एवं लघु शीर्षवार रूप में आसानी से समझा जा सकता है।

उपरोक्त अध्ययन एवं चर्चा से स्पष्ट हैं कि वर्तमान में हालांकि राज्य सरकार ने अपने बजट से पंचायतो को आवंटित राशि की जानकारी को बहुत हद तक स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाने की कोशिश की है लेकिन अभी भी सरकार केवल वही जानकारी दे रही है जो 3 वर्ष पहले तक दे रही थी। जिसमें जिला परिषदों को आवंटित राशि का तो अलग अलग पता लग रहा है लेकिन किसी एक पंचायत समीति तथा ग्राम पंचायत को कुल कितनी राशि या किसी मद विशेष में कितनी राशि जारी की जा रही है। इसका अभी भी पता नहीं लग पा रहा है अर्थात राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आम जन को जानकारी देने की कोई नई पहल नहीं की है।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
अमनदीप कौर
सहयोग – सीताराम मीणा
अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती .....

.....

.....पिन कोड .....